रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2013/फाल्गुन 23, 1934 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 294
No. 45] DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2013/PHALGUNA 23, 1934 [ N.C.T.D. No. 294

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 14 मार्च, 2013

सं. 21(01)2013/एलएएस-IV/वि./1576.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या ( 01 ) 2013

दिल्ली जल बोर्ड ( संशोधन ) अधिनियम, 2013

( जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 14 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित किया गया )

2013 की विधेयक संख्या 01

दिल्ली जल बोर्ड ( संशोधन ) अधिनियम, 2013

दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 में संशोधन हेतु एक विधेयक

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में एक विधेयक भारतीय गणराज्य के 64वें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.**—

(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना उपराज्यपाल द्वारा नियत तिथि को लागू होगा ।

**2. धारा 3 का संशोधन.**— दिल्ली जल बोर्ड, 1998 की धारा 3 की उप-धारा (2) में,

(क) खण्ड (IV) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"(IV) प्रत्येक नगर निगम जैसे दक्षिण, उत्तर एवं पूर्व दिल्ली नगर निगम में से एक सदस्य सम्बन्धित महापौर द्वारा मनोनीत किया जाएगा ।"

(ख) खण्ड (V) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

''(V) निदेशक (स्थानीय निकाय)-पदेन सदस्य होंगे ।"

## उद्देश्यों एवं कारणों की सारणी

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली ने जल आपूर्ति, मल व्ययन तथा जल निकासी करने तथा संबंधित कार्यों का निर्वाह करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के

अनुमोदन से अधिनियमित एवं राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ.13(3)/98/एल.ए.डी. दिनांक 2 अप्रैल, 1998 द्वारा अधिसूचित किया गया था । दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (V) के अनुसार आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड के पदेन सदस्य हैं । इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की खण्ड (4) के अनुसार महापौर द्वारा दिल्ली नगर निगम के दो सदस्यों को नामांकित किया जाए ।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार दिल्ली नगर निगम के 3 हिस्सों में विभाजन होने के साथ श्री विजय कुमार मल्होत्रा विधानसभा में माननीय विपक्ष के नेता ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक दिल्ली नगर निगम जैसे दक्षिण, उत्तर एवं पूर्वी दिल्ली से कम से कम दो सदस्यों को नामांकित किया जाए एवं दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 में समुचित संशोधन करने का आग्रह किया । दक्षिण, उत्तर एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक नगर निगम में से एक सदस्य को दिल्ली जल बोर्ड का प्रतिनिधि बनाया जाए । दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (V) के अनुसरण में यह भी सुझाव दिया गया है कि निदेशक (स्थानीय निकाय) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार को आयुक्त दिल्ली नगर निगम के स्थान पर दिल्ली जल बोर्ड का पदेन सदस्य नामांकित किया जाए ।

इस विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति होती है ।

हस्ता./-

(शीला दीक्षित)

मुख्य मंत्री

प्रभारी मंत्री

### वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 में प्रस्तावित संशोधनों से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा ।

### प्रदत्त कानून के संबंध में ज्ञापन

किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी को यह विधेयक विधायी शक्ति प्रदत्त नहीं करता है ।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

### NOTIFICATION

Delhi, the 14th March, 2013

No. 21(01)2013/LAS-IV/Leg./1576.—The following is published for general information :—

**BILL NO. 01 OF 2013**

**THE DELHI WATER BOARD (AMENDMENT) BILL, 2013**

**(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 14th March, 2013)**

**BILL NO. 01 OF 2013**

**THE DELHI WATER BOARD (AMENDMENT) BILL, 2013**

**A**

**BILL**

**Further to amend the Delhi Water Board Act, 1998**

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Delhi Water Board (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the Lt. Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Amendment of Section 3.**—In the Delhi Water Board Act, 1998, in Section 3, in sub-section (2),—

(a) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iv) One member from each Municipal Corporation i.e. South, North and East Delhi Municipal Corporation to be nominated by the respective Mayor".

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :—

"(v) The Director (Local Bodies) shall be the ex-officio member".

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to discharge the function of Water supplies, sewerage and sewage disposal and drainage within the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith, Delhi Water Board Act, 1998 was enacted and notified with the approval of Hon'ble President of India *vide* Gazette Notification No. F. 13(3)/98-LAD dated 2nd April, 1998. As per clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998, the Commissioner of the MCD is the ex-officio member of the Delhi Jal Board. Similarly, as per, clause (iv) of sub-section (2) of Section 3 of the said Act, two members of the Municipal Corporation of Delhi are to be nominated by the Mayor.

With the trifurcation of the MCD as per Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 Sh. Vijay Kumar Malhotra, Hon'ble Leader of Opposition, in the Legislative Assembly, has suggested that there should be at least two persons to be nominated from each of the Municipal Corporation of Delhi i.e. South, North and East Delhi Municipal Corporations and has asked for making suitable amendment, in the Delhi Water Board Act, 1998. Keeping in view, the number of wards in the South,

North and East Delhi Municipal Corporations, it is proposed that one member from each Corporation will make Delhi Water Board representative in character. It has been further suggested that in pursuance of clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998, the Director (Local Bodies), Government of NCT of Delhi be nominated as Ex-officio member of Delhi Jal Board in place of the Commissioner, MCD.

The bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Sd/-
(SHEILA DIKSHIT)
Chief Minister
Minister Incharge

**FINANCIAL MEMORANDUM**

There is no additional financial implication due to the proposed amendments in the Delhi Water Board Act, 1998.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

The Bill does not envisage delegation of legislative powers to any subordinate authority.

P. N. MISHRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.